सहकारी सामूहिक आवास समितियों को करीब 1248 एकड़ भूमि आबंटित की है। द्वारका चरण–I और II तथा नरेला में करीब 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव है। शेष समितियों के लिए भूमि की अनुमानित आवश्यकता करीब 900 हैक्टेयर होगी। इन समितियों को भूमि का आबंटन भूमि का और अधिग्रहण और विकास करने के पश्चात् ही किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बनाई जा सकती है।

Allotment of Houses/Plots by D.D.A.

1245. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:
SHRI RANJIT SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether it is a fact that a large number of applicants are registered with the Delhi Development Authority for residential plots and residential units etc.;

(b) if so, what is the number of applicants who were not allotted plots or residential units till December 1990, and whether Government have any time-bound programme to meet the needs of the remaining registered applicants; and

(c) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) 91,448 registrants for flats and 45,856 registrants for plots were awaiting allotment till December, 1990. All these registrants are likely to be allotted flats/plots by the end of 8th Five Year Plan.

दिल्ली में सहकारी आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1246. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में लगभग 320 सहकारी आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा तथा उन्हें भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन समितियों को दी जाने वाली भूमि की कीमत अभी 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1987 में पप्पनकलां की भूमि की कीमत 425 रुपये प्रति वर्ग मीटर आंकी गयी थी और इस दर पर डी० डी०ए० द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गयी थी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका चरण–I तथा II और नरेला में लगभग 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(ख) प्रीमियम की अदायगी सहित कोडल औपचारिकताओं के पूरा होने पर तथा समितियों की परस्पर–वरिष्ठता नियत करने के लिये निर्धारित किये गये मानदंड को चुनौती देने संबंधी उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के निर्णय की शर्त पर।

(ग) द्वारका में समितियों को भूमि के आवंटन के लिये चालू दर 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर नियत की गई है।

(घ) 1–9–87 से 31–8–88 तक दक्षिण और केन्द्रीय दिल्ली क्षेत्र के लिये भूमि की वैध दरें 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। तथापि, इस दर पर पप्पन कलां/द्वारका में कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।